

# दिल्ली के उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सार्वजनिक नोटिस

संदर्भ : सी.ओ. (सीओएमएमआईपीडी-सीआर) 14/2021 और अन्य मामले

यह सभी संबंधितों की जानकारी के लिए है कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31डी, कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 31 के साथ पठित के मद्देनजर और प्रूजिक ब्रॉडकास्ट लि. और अन्य रेडियो प्रसारकों द्वारा इस संबंध में दायर एक आवेदन पर, माननीय 'हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली', आईपीडिवीजन को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31डी और उसके नियमों के तहत रेडियो के माध्यम से प्रसारण के माध्यम से जनता को 'ध्वनि रिकॉर्डिंग' के संचार के लिए रॉयलटी को तय/संशोधित करने जरूरत है।

यह सार्वजनिक सूचना उन सभी इच्छुक व्यक्तियों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, बौद्धिक संपदा प्रभाग के रेडियो के माध्यम से 'ध्वनि रिकॉर्डिंग' के प्रसारण के लिए रॉयलटी तय/संशोधित करने की मंशा के बारे में सूचित करने के लिए जारी की जाती है, जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 31डी के तहत अनिवार्य है। कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 31 के साथ पठित और इस संबंध में सभी इच्छुक व्यक्तियों के सुझाव आमंत्रित हैं।

नियम 31 के उप-नियम (3) के अनुसार, यह कहा गया है कि कॉपीराइट का कोई भी मालिक या किसी भी प्रसारण संगठन या किसी रेडियो प्रसारक या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति, इस प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने सुझाव दे सकता है, लिखित रूप में, पर्याप्त साक्ष्य के साथ, एफएम रेडियो के माध्यम से 'ध्वनि रिकॉर्डिंग' के प्रसारण के लिए रॉयलटी की दर के बारे में। सार्वजनिक सूचना के 30 दिनों की समाप्ति के बाद सुझावों के प्रयोजन के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

इस संबंध में सुझाव ipd-copyright@dhc.nic.in पर ईमेल किए जाएं।

आदेश से  
हस्ता/-  
(संजय कालरा)  
उप रजिस्ट्रार (मूल)  
रजिस्ट्रार जनरल के लिए